सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 4- जल उपभोक्ता समितियों के काम-काज

विषय 4.3- प्रबन्ध समिति से त्याग पत्र, वापिस बुलाना और समिति का विघटन /पुनर्गठन करना

विषय-4.1
प्रबन्ध समिति से त्याग पत्र, वापिस बुलाना और समिति का विघटन / पुनर्गठन करना

मॉड्यूल-4 के विषय

4.1 जल उपभोक्ता समितियों के दैनिक काम-काज और बैठकें
4,2 जल उपयोक्ता संगम की सामान्य सभा और प्रबंध समिति की बैठकें
4.3 प्रबन्ध समिति से त्याग पत्र, वापिस बुलाना और समिति का विघटन /पुनर्गठन करना
4.4 समितियों की शक्तियां तथा सिंचाई प्रबन्ध का हस्तान्तरण

1. आकस्मिक रिक्ति, इसकी पूर्ति, त्यागपत्र, वापिस बुलाना

1- **आकस्मिक रिक्ति**- प्रबन्ध समिति में आकस्मिक रिक्ति इस के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, त्याग पत्र देने पर, उसे नियमानुसार अयोग्य घोषित करने पर या उसे वापिस बुलाने (recall) पर होगी।

2- **आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति**- आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, संबंधित राज्य के पिम एक्ट में निर्धारित प्रकियानुसार होगी जैसा कि राजस्थान में WUA की प्रबन्ध समिति में रिक्ति की पूर्ति वितरण समिति द्वारा, वितरण समिति की प्रबन्ध समिति में रिक्ति की पूर्ति परियोजना समिति द्वारा तथा परियोजना समिति में रिक्ति की पूर्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा मनोनयन से करने का प्रावधान है।

3- **त्याग पत्र**- प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य अपनी इच्छा से इसके अध्यक्ष को रजिस्टर्ड डाक या व्यक्तिगत रुप से त्याग पत्र दे सकेगा तथा इस पर प्रबन्ध समिति में विचार कर स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जावे तो अध्यक्ष इस आकस्मिक रिक्ति की सूचना परियोजना अधिकारी को देगा जिससे निर्धारित प्रक्रियानुसार रिक्ति की पूर्ति की कार्यवाही की जा सके। जैसे कि राजस्थान के पिम ऐक्ट के अनुसार, रिक्त स्थान की मनोनयन द्वारा पूर्ति के लिये, डब्लू यू ए में वितरण समिति को, वितरण समिति में परियोजना समिति को तथा परियोजना समिति में राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है।

4- **वापिस बुलाना- (रिकॉल)** यह संबंधित राज्यों के पिम एक्ट में निर्धारित प्रक्रियानुसार हो सकेगा। इसके लिये आदर्श व्यवस्था होगी कि प्रबन्ध समिति में पद ग्रहण के एक वर्ष तक किसी सदस्य/अध्यक्ष को वापिस बुलाने की कार्यवाही नहीं की जा सके। इसके बाद किसी कृषक संगठन की प्रबन्ध समिति के सदस्य/अध्यक्ष को वापिस बुलाने के लिये इसके निर्वाचन क्षेत्र की कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई या इससे अधिक सदस्यों द्वारा साधारण आवेदन के रुप में परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। परियोजना अधिकारी सात दिनों में संबंधित समिति के सदस्यों की बैठक बुलावेगे। जिसकी अध्यक्षता परियोजना अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी करेंगें। यदि बैठक में कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते है तो प्रस्ताव पारित माना जावेगा। परियोजना अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को अपने पद से हटा दिया जावेगा। इसमें अलग अलग राज्यों के नियम अधिनियम में निर्धारित प्रकिया का

ही पालन करना होगा । जैसे राजस्थान ऐक्ट की धारा 10 एवं नियम-35 के अनुसार बैठक मे उपस्थित सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक से ही प्रस्ताव पारित मान लिया जायेगा का प्रावधान है किंतु यह कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक्ट में कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक का प्रावधान है।

5- प्रबन्ध समिति का विघटन (dissolution) एवं कृषक सगठन का पुनर्गठन (reorganization)

1- प्रबन्ध समिति का विघटन (dissolution)

- किसी कृषक संगठन की प्रबन्ध समिति की और से किसी भी गबन, कपट, शक्तियों और कृत्यों का दुरुपयोग या इस अधिनियम में उपबन्धों के उल्लघंन में किसी भी अन्य कार्य की दशा में परियोजना क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रबन्ध समिति का विघटन करने एवं कृषक संगठन के कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिये अन्तः कालीन इन्तजाम करने की शक्ति होगी परंतु ऐसे विघटन की दशा में प्रबन्ध समिति के विघटन की तारीख से तीन माह के भीतर भीतर प्रबन्ध समिति पुनः पुनर्गठित की जावेगी। प्रबन्ध समिति के विघटन से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर देना होगा। किंतु यह जैसा राज्यों के पिम ऐक्ट तथा पिम नियमों में विहित हो के अनुसार ही होगा।

2- कृषक संगठन का पुनर्गठन (reorganization) - राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिक्रत अधिकारी कमान क्षेत्र के कृषक संगठन के हित में, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाये गये अधिनियम/नियमों के अनुसार-

(क) किसी भी कृषक सगठन से क्षेत्र को प्रथक करके एक नया कृषक संगठन बना सकेगी।

(ख) किसी भी कृषक संगठन के क्षेत्र को बढा सकेगी।

(ग) किसी भी कृषक संगठन के क्षेत्र को कम कर सकेगी।

(घ) किसी भी कृषक संगठन की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी।

(ड) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी भी अधिसूचना को किसी त्रुटि के सुधार के लिये रद्ध कर सकेगी।

परन्तु ऐसा कोई भी प्रथक्करण बढोतरी कमी और रद्धकरण तब तक प्रभावी नहीं होगा या माना जावेगा जब तक उससे प्रभावित हो सकने वाले संगठन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जावे।